भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1129
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि

1129. श्री पी. वेलुसामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास नए कर्मचारियों के साथ-साथ लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों की दोनों श्रेणियों (नए और अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों) को दिए जाने वाले वेतन मानदंड की उच्चतम सीमा और अंशदान की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एक हजार से अधिक कामगारों को नियोजित करने वालों के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के अंशदान को वहन करेगी;

(ड.) क्या इस योजना का विस्तार स्थापनाओं द्वारा नियोजित 1000 से कम श्रमिकों तक किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहतः-

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

(घ): 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा लाभ के रूप में केवल कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान अर्थात् वेतन का 12% प्रदान किया जाता है।

(ङ) एवं (च): इस योजना में पहले से ही 1000 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। योजना के तहत 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में पात्र नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ता-दोनों के अंशदान अर्थात् वेतन के 24 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

****